न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 36/2014

1. श्रीमति पतासी पत्नि श्री बाबू जी, जाति मेहरात, निवासी ग्राम मसूदा, तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज.)

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गोलू उर्फ रमजान पुत्र श्री देवा
2. श्री इस्माईल पुत्र श्री कालू
3. श्री रसूल पुत्र श्री इस्मााईल
4. श्री बाबू पुत्र श्री कालू
5. श्री मोहन पुत्र श्री रामा
6. श्री पप्पू पुत्र श्री उदा
7. श्री दीना पुत्र श्री उदा
   समस्त जाति मेहरात, निवासियान ग्राम पोलू का चौडा, तहसील मसूदा (राज0)
8. श्री खाजू पुत्र श्री जफरू
9. श्री नैना पुत्र श्री जफरू
10. श्री हाकम पुत्र श्री जफरू
   तीनों जाति मेहरात, निवासियान ग्राम हरराजपुरा, तहसील मसूदा (राज.)
11. श्री बबलू पुत्र श्री मोती बालिग
12. श्रीमति भंवरी बेवा श्री मोती
   दोनों जाति मेहरात, निवासियान ग्राम हरराजपुरा, तहसील मसूदा (राज.)
13. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मसूदा जिला अजमेर ।

——प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

:– आदेश :– दिनांक 01.09.2016

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम मसूदा पटवार हल्का मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा नं. 765 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा, 766 रकबा 02 बीघा व 767 रकबा 09 बिस्वा । जिसकी सीमा को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 से 12 एवं प्रार्थी के मध्य विवाद होता रहता है । अतः प्रार्थीगण प्रश्नगत अराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी करने के अप्रार्थी सं0 13 पर आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थीगण अपने अभिभाषक महोदय के साथ उपस्थित आये। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम मसूदा की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के खसरा नं. 765 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा, 766 रकबा 02 बीघा 767 रकबा 09 बिस्वा में प्रश्नगत अराजी प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार मसूदा पर आदेश पारित किये जाते हैं कि वे प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदायगी पर प्रश्नगत अराजी का मौके पर सीमांकन कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार मसूदा को प्रकरण में रु. 3000/– पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम मसूदा स्थित अराजी खसरा नं. 765 रकबा 25 बीघा 19 बिस्वा, 766 रकबा 02 बीघा व 767 रकबा 09 बिस्वा की पत्थरगढी करावें।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2016 को कार्यालय हाजा मुकाम पर सुनाया गया ।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.18 16:14:15 IST
Reason: SelfAttested